फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

चुक्का बनाम **लुणाराम**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 90 सन–2024

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
08.05.2024	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड /दस्तावेजात /शपथ पर का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायल संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 162/152 की कुल 5.3550हैक्ट व खाता संख्या 160/150 की कुल 2.8460हैक्ट भूमि जो गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे यह स्थगन आदेश ,मन्जुरशुद्वा खाला, रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करें, इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करे । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.06.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
3.6.24	वकील सायल के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई वकील सायल स्थगन ने निवेदन किया कि इस प्रकरण का आपस में राजीनामा [illegible] [illegible] अब [illegible] नहीं चलाना चाहते [illegible] बताते हैं। सायल स्वयं [illegible] प्रार्थना पत्र नहीं चलाना के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नोहर	रघा [illegible] चुक्का

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:43:51 IST
Reason: SelfAttested